## संघीय विधायिका : ससद The Union Legislature : Parliament

भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तम्भ संघीय विधायिका या संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग-5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 के अन्तर्गत किया गया है।

The second pillar of the Indian system of governance is the federal legislature or parliament. Its provision has been made in Chapter 2 of Part-5 of the Constitution under Articles 79 to 122.

अनुच्छेद-79 में कहा गया है, 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः 'राज्य सभा' (Council of State) और 'लोक सभा' (House of the People) होंगे।

Article 79 says, 'There shall be a Parliament for the Union consisting of the President and two Houses of Parliament, to be called respectively the Council of State and the House of the People.

# लोकसभा House of the People

लोकसभा का गठन - लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनु. 81 में किया गया है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी,

Article 79 says, 'There shall be a Parliament for the Union consisting of the President and two Houses of Parliament, to be called respectively the Council of State and the House of the People.

लेकिन समय-समय पर इसमें वृद्धि की गयी एवं संविधान संशोधन अधि. 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गयी। पुन: 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गयी।

But it was increased from time to time and by the Constitutional Amendment Act 1956, while reorganizing the states, the maximum number of members of Lok Sabha was fixed at 525. Again, by the 31st Constitutional Amendment 1974, the maximum number of members of Lok Sabha was increased from 525 to 545.

LS ⇒ 500 सीट/सदस्य

⇓

500 - 525 ⇒ 7 वां 1956

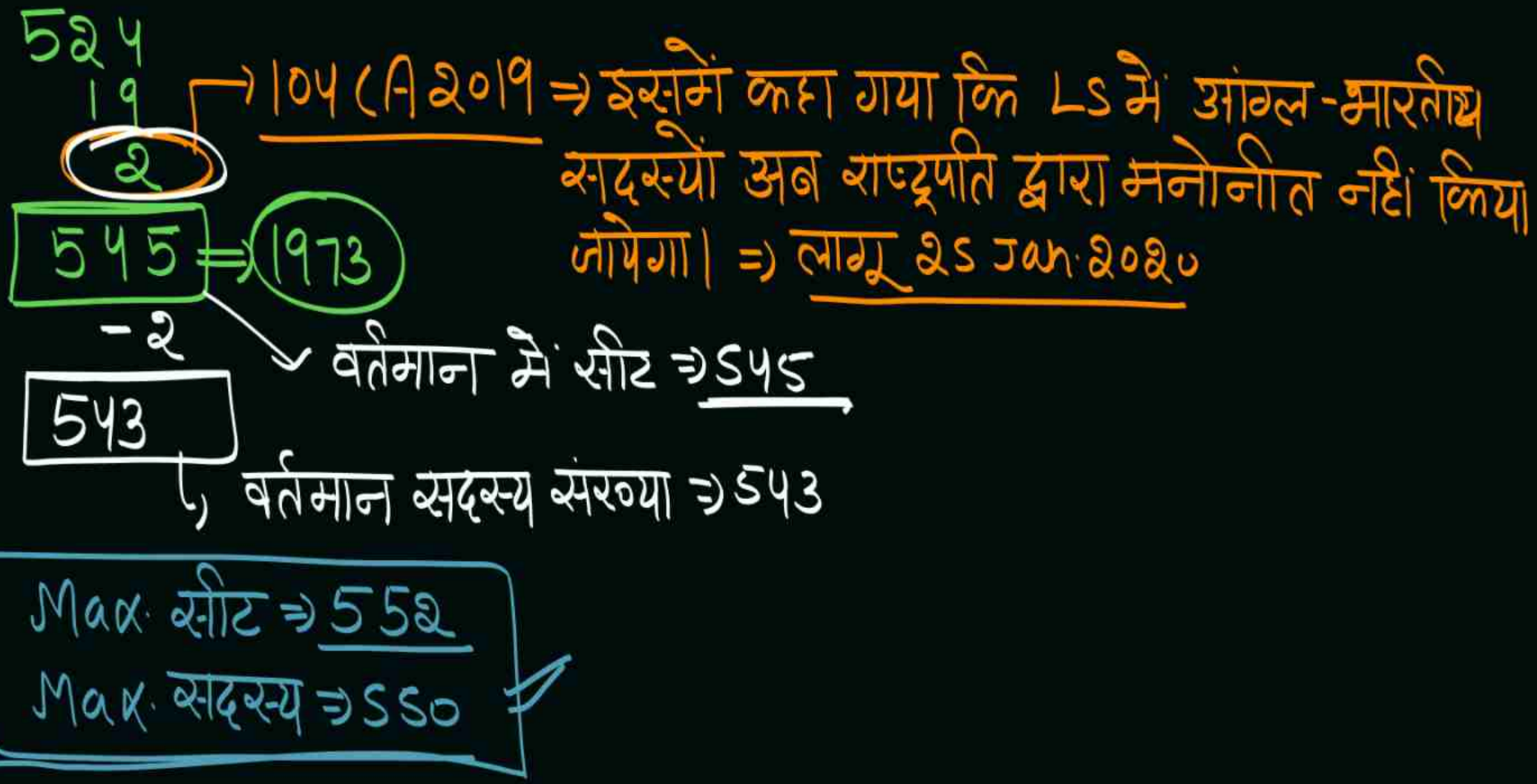
525 - 545 ⇒ 31 वां CA 1973

- सीट/सदस्य ⇒ 1971 की जनगणना के आधार वर्ष पर
- निश्चित (fixed) ⇒ 84 वां CA 2001 ⇒ 2026 तक सीटों की संख्या

निश्चित

545

- राज्य 525
- केंद्र शासित प्रदेश 19
- 2 Anglo-Indians (आंग्ल भारती) ⇒ मनोनीत (Nominate) ⇓ राष्ट्रपति द्वारा (Art. 331)


552
+7
2
545
1973
-2
543
104th A 2019 ⇒ इसमें कहा गया कि LS में आंग्ल-भारतीय सदस्यों अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जायेगा। ⇒ लागू 25 Jan 2020
वर्तमान में सीट ⇒ 545
वर्तमान सदस्य संख्या ⇒ 543
Max. सीट ⇒ 552
Max. सदस्य ⇒ 550

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे।

**The maximum number of members in Lok Sabha can be 550. Out of these, a maximum of 530 members can be elected from the constituencies of the states and 20 members from the union territories.**

550 / 530 - राज्य
20 U.T's

वर्तमान ⇒ 543 / 524
19

524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी, 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया है।

524 members from the states and 19 members from the union territories. The 104th Constitutional Amendment has abolished the nomination of Anglo-Indians in the Lok Sabha and state assemblies from January 25, 2020.

SC एवं ST का आरक्षण – अनुच्छेद 330-104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।*

**Reservation of SC and ST - Article 330 104th Constitutional Amendment (2019)**

**the provision regarding reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes in the Lok Sabha has been extended till 2030.***

Art. 330 ⇒ SC/ST → Reservation आरक्षण → LS में ✓

Art. 332 → SC/ST → Reservation आरक्षण → विधानसभा में Legislative Assembly ✓

⇒ शुरुआत में SC/ST को LS और vs में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन समय-2 पर इसे बढ़ाया गया।

⇒ 104 CA 2019 के द्वारा SC/ST के आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। (10 वर्षों के लिए) ⇒ लागू ⇒ 25 Jan 2020

→ इसी संशोधन द्वारा विधानसभा में आंग्ल-भारतीय सदस्य, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत (Art. 333) में मनोनीत किया जाता था उसे समाप्त कर दिया।

संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गयी 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 ही रहेगी।

Under this provision of the Constitution, the number of elected members of the Lok Sabha was fixed at 543 on the basis of the 1971 census. By the 84th Constitutional Amendment in 2001, the total number of Lok Sabha members will remain 543 till 2026.

# सदस्यों का निर्वाचन Election of Members

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किन्तु संविधान के 61 वें संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

The members of Lok Sabha are directly elected on the basis of adult suffrage. Earlier, a person attaining the age of 21 years was considered an adult, but by the 61st amendment of the Constitution in 1989, the age of voting has been reduced from 21 years to 18 years.

## (LS) के सदस्यों का निर्वाचन

① प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) → मतदाता (Voters) ⇒ जनता

↓ पहले मतदान की न्यूनतम आयु ⇒ 21 वर्ष थी

↓ 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक

लेकिन 61CA1989 ⇒ मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गयी।

Art. 326 ⇒ कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का है, मतदान कर सकता है।

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है; लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, यदि वह चित्तविकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो (अनुच्छेद 326)।

Any person who is a citizen of India and is 18 years of age or above can vote in an election to the Lok Sabha if he is not disqualified from voting under any law made by Parliament on the grounds of unsoundness of mind, non-residence, conviction of any offence or corrupt practice (Article 326).

# सदस्यों की अर्हताएँ (Qualification of Members)

लोकसभा तथा राज्य सभा सदस्यों की अर्हताएँ अनु. 84 में दी गयी है।

The qualifications for members of Lok Sabha and Rajya Sabha are given in Article 84.

(i) भारत का नागरिक है। is a citizen of India.

(ii) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है। is at least 25 years of age.

⇒ LS, RS का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु (Minimum Age) 30 years वर्ष होनी चाहिए।

(iii) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची तीन में विहित प्रारुप में शपथ लिया है, has taken oath in the form prescribed in Schedule III before a person authorized by the Election Commission,

(iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यतायें हैं जो संसद द्वारा बनायी गयी विधि के तहत निर्धारित की गयी हैं। – He possesses such other qualifications as may be prescribed by law made by Parliament.

→ पागल न हो (Do not unsound mind)
→ दिवालिया न हो (Do not insolvent)
→ दल बदल कानून लागू न हो।
→ लाभ के पद पर न हो।

Oath (शपथ) → अनुसूची - 3 में

↳ Art. 99 के द्वारा LS/RS के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

# सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification Members)

(i) संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है।

holds any office of profit under Articles 101 and 102 of the Constitution.

(ii) यदि वह विकृतचित्त है दिवालिया है;

if he is of unsound mind or insolvent;

(iii) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है if he is not a citizen of India

(vi) यदि वह दल-बदल कानून के तहत् अयोग्य हो

if he is disqualified under the anti-defection law

Q. ⇒ दल-बदल क्या होता है?

↳ 10th schedule (अनुसूची)
↳ 52(A) 1985 द्वारा जोड़ा है।

(a) यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छया छोड़ देता है।

If he voluntarily leaves the membership of that political party.

→ जिसका वह सदस्य था।

(आया राम गया राम)

(b) यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है।

If he votes or does not vote in the House against the instructions given by that political party.

(c) जब कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

When an independent member joins a political party after election.

(d) यदि कोई मनोनीत (Nominated) सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

If a nominated member joins a political party 6 months after taking oath.

# अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय

# Decision on disqualification questions

अनु. 103 (अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा,

eg. मोहन → MP

**Article 103 (whether a person has become subject to any of the disqualifications mentioned in article 102 or not, the question shall be referred to the President for decision and his decision shall be final,**

Disqualification

निर्योग्यता ⇒ प्रश्न ? → मोहन

⇓

इसका निर्णय राष्ट्रपति

⇓

MP बनने के बाद

द्वारा किया जायेगा कि मोहन योग्य हैं निर्योग्य, और निर्णय अंतिम होगा। Art. 103

⇓

राष्ट्रपति इस विषय में अपना निर्णय देने से पहले भारत के निर्वाचन

आयोग से परामर्श करते हैं। Art. 103

राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा।* दिल-बद दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है।*

**The President will take the opinion of the Election Commission and will act according to its opinion.* The decision on the disqualification of Members of Parliament on the basis of defection is taken by the Speaker in the Lok Sabha and by the Chairman in the Rajya Sabha.***

# कार्यकाल Tenure

अनु. 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। सरन्तु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।

According to Article 83(2), the term of the Lok Sabha is 5 years from the date of its first meeting. However, even before this period, it can be dissolved by the President on the advice of the Prime Minister.

# RPF SI & CONSTABLE 2024

## रेल रक्षक बैच

# POLITY

# संसद

Part -2



LIVE STREAMING 14-08-2024 11:00 AM

आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी। उल्लेखनीय है

When the proclamation of emergency is in effect, the Parliament can by law extend the term of the Lok Sabha, which shall not exceed one year at a time. It is noteworthy

कि दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए (18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 एवं 18 मार्च 1977 से 18 मार्च 1978 तक) बढ़ाया गया था

That due to the second emergency proclamation, the term of the fifth Lok Sabha was extended twice for one year each (from 18 March 1976 to 18 March 1977 and from 18 March 1977 to 18 March 1978)

# सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण Oath taking by members

**Article 99 अनुच्छेद 99 -**

# अधिवेशन व गणपूर्ति meeting and quorum

अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है।

To constitute a session a quorum of 1/10th of the total number of members of the House is required.

# अध्यक्ष और उपाध्यक्ष The Speaker and Deputy Speaker

अनुच्छेद 93-97 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव करती है

Articles 93-97 are about the Speaker and Deputy Speaker. According to Article 93, the Lok Sabha elects a Speaker and a Deputy Speaker from among its members in its first meeting.

अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को देता है। उन्हें लोकसभा के तत्कालीन - समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।

**The Speaker gives his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker gives his resignation to the Speaker. They can be removed from their post by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha.**

उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो न दे दी गई हो। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।

**The intention to move that resolution has not been given at least 14 days' notice to the Speaker or Deputy Speaker, whoever is to be removed. The Speaker shall remain in his office until immediately before the first session of the Lok Sabha.**

लोकसभा के अध्यक्ष रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलायी जाती है। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है।*

**No separate oath is administered as the Speaker of the Lok Sabha. Hence, no one administers the oath to the Speaker of the Lok Sabha.***

## अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य Power and Function of the Speaker

वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है

He presides over the meetings of the Lok Sabha.

वह सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है।

He is responsible for maintaining peace and order in the House.

वह दल-बदल के आधार पर अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करता है।

सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। He decides questions related to disqualification on the basis of defection.

लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है।* He presides over the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha.*

कोई विधेयक धन-विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

सदन में पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देता है, अनु. 100(1) * In case of an equal number of votes in the House, he casts the casting vote, Article 100(1)

# राज्यसभा (Council of State)

राज्य सभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है।* इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

**Rajya Sabha is the second or upper house of the Indian Parliament.* It consists of members from the states. These members represent the states and union territories.**

## राज्यसभा का गठन (Composition of Rajya Sabha)-

अनुच्छेद 80 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जायेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे। वर्तमान में राज्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।

Article 80 provides that the Rajya Sabha can have a maximum of 250 members. Out of these, 238 members will be elected from the states and union territories and 12 members will be nominated by the President from among persons having special knowledge or experience in the field of art, literature, science and social service. At present, the total number of members of the Rajya Sabha is 245.

## सदस्यों का निर्वाचन Election of Members

राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।*

The members of the states and union territories in the Rajya Sabha are elected by the elected representatives of the Legislative Assemblies.*

## कार्यकाल Tenure

संविधान के अनु. 83 (1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है।* यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है।

According to Article 83 (1) of the Constitution, the Rajya Sabha is a permanent house.* It is never dissolved, but one-third of its members retire at the end of every second year. In this way, every member remains a member of the Rajya Sabha for 6 years.

## सभापति और उपसभापति Chairman & Deputy Chairman

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं - सभापति (Chair- man) और उपसभापति (Deputy Chairman)। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है

There are two main officials of Rajya Sabha - Chairman and Deputy Chairman. The Vice President of India is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha.

अनु० 89 कार्यकाल 5 वर्ष हैराज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्तहोने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है।

Article 89 The term is 5 years. The Rajya Sabha elects one of its members as Deputy Chairman for 6 years. When the post of Chairman is vacant, the Deputy Chairman performs the duties of the Chairman in his absence.

उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है।

**The Deputy Chairman can be removed by passing a resolution by a majority of all the then members of the Rajya Sabha. The Deputy Chairman can resign his post at any time by writing under his signature addressed to the Chairman.**

अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।*

**According to Article 101(4), a member of either House of Parliament ceases to be a member if he is absent from any sitting of the House for a continuous period of more than sixty days without the permission of the House.***

# संसदीय विशेषाधिकार Parliamentary Pa Privileges

अनुच्छेद-105 संसद सदस्यों को, संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है।

Article 105 Members of Parliament shall not be arrested in any civil case during a session of Parliament or 40 days before or after the session. This exemption is not available in criminal cases.

किसी संसद सदस्य को, संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।

**No Member of Parliament shall be compelled to appear as a witness before any Court during a session of Parliament without the permission of the Speaker or the Chairman, as the case may be.**